प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव / प्रबंधक,
डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम,
हेतु नव–स्थापित होने वाली / पूर्व से सम्बद्ध संस्थाएं।

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2023 / 4398 **लखनऊःदिनांक–** 18.09.2023

विषयः–सत्र 2023–24 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम हेतु नवआवेदित / पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को परिषद से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या प्राशिप / परिषद / 2023 / 3150 दिनांक 3–08–2023 एवं प्राशिप / परिषद / 2023 / 3680 दिनांक 28–8–2023 तथा प्राशिप / परिषद / 2023 / 3819 दिनांक 04–09–2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2023–24 हेतु कमशः पूर्व से सम्बद्ध एवं समस्त नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम संचालित करने वाली निजी क्षेत्र की संस्थानों को परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के कम में **यूराईज पोर्टल** के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2023–24 हेतु प्रदत्त अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार के कम में पुनः **दिनांक 19–09–2023 से 21–09–2023 तक पोर्टल** खोला जाता है।

पूर्व से सम्बद्ध डी0फार्मा0 संस्थाओं द्वारा अपने su login के माध्यम से आवेदन किया जाएगा एवं नव–स्थापित संस्थाओं द्वारा यू0राईज पोर्टल पर दिये गये लिंक https://urise.up.gov.in/affiliationsignup के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन उपरांत संस्थाओं को पंजीकृत ई0मेल0 पर लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् https://urise.up.gov.in/affiliation/ affiliationinic लिंक के माध्यम से संस्थान द्वारा लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन किये जाने के पश्चात् संस्था संबंधी समस्त सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि कर आवेदन पत्र submit किया जाएगा। साथ ही पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) व संलग्न प्रारूप **"अ"** एवं **"ब"** पर रू0 100 /– का स्टाम्प पेपर का शपथ पत्र (केवल नवस्थापित संस्थाओं द्वारा) दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि **21 सितम्बर 2023** तक ही आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

उपरोक्त निर्धारित तिथि **21 सितम्बर 2023** तक आवेदन करने के उपरांत संस्था द्वारा यू–राईज पोर्टल पर किये गये आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति (अनुमोदन पत्र सहित), मूल शपथपत्र (केवल नवस्थापित संस्थाओं द्वारा) एवं परिषद द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र की प्रति परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से **दिनांक 22 सितम्बर 2023** तक जमा किया जायेगा। पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा रू0 15000 /– का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के नाम परिषद कार्यालय में जमा किया जाए। **नवस्थापित संस्थाओं से निरीक्षण शुल्क के संबंध में पृथक से सूचना प्रेषित की जाएगी।** निरीक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त तिथि तक आवेदन न किये जाने एवं वांछित अभिलेख परिषद कार्यालय को जमा न किये जाने की स्थिति में सत्र 2023–24 हेतु परिषद से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप / परिषद / 2023 / 4399-4403 **तद्दिनांक–** 18.09.2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उ0प्र0, कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र।
5. नोडल अधिकारी, यू0राईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

I:\peeup 23.docx

(प्रारूप–"अ")

<u>सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप</u>

हम......................(नाम अध्यक्ष)......................एवं ....(नाम सचिव)....................क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव.................(सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता)......................शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा ....(संस्था का नाम एवं पता)............. नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम.................(पता जहां पर भूमि स्थित है)................ में गाटा संख्या..एवं....................रकबा क्रमशः.................................. एवं........................हेक्टेयर (कुल रकबा............................हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या........................ ....एवं........................रकबा क्रमशः..................................एवं........................ हेक्टेयर (कुल रकबा.........................हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक................ ....द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 अध्यक्ष

ह0 सचिव

(प्रारूप ''ब'')

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं अथवा सत्र 2023–24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप :–

हम......................(नाम अध्यक्ष)......................एवं ....(नाम सचिव)....................क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव.................(सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता).......................शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

   अ...

   ब...

   स...

   द...

2. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है :–

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

3. यह कि, उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है :–

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7

4. यह कि, उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारंभ के समय की है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है :–

कम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

6. यह कि, भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि कय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 अध्यक्ष ह0 सचिव